(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्न में निर्यात का लाभ खाद्यान्न के उत्पादकों को पहुंचाने के लिये किसी योजना पर विचार किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) 1988-89 और 1989-90 के दौरान खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ जब उत्पादन के अंतिम अनुमान 169.92 और 170.63 मिलियन मीटरी टन रहे । वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 176.0 से 176.5 मिलियन मीटरी टन तक होने की संभावना है जो कि लगातार एक तीसरा रिकार्ड वर्ष होगा ।

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन, आंतरिक उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुये सरकार ने 1990-91 और 1991-92 में निर्यात किये जाने के लिये 20 लाख मीटरी टन गेहूं और 10 लाख मीटरी टन गैर-बासमती चावल की कुल अधिकतम सीमा निश्चित की है । इसमें से राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम ने अभी तक (5-7-1991 तक) 7.3 लाख मीटरी टन गेहूं की सप्लाई करने के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये हैं जिनमें से 4.55 लाख मीटरी टन गेहूं निर्यात किया जा चुका है । 20 000 मीटरी टन गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिये भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अनुबंध किया है, लेकिन अभी तक इसकी कुछ भी मात्रा निर्यात नहीं की गई है । बासमती चावल का निर्यात "ओपन जनरल लाइसेंस" के आधार पर किया जाता है ।

(ग) मूल्य समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्पादकों को खाद्यान्नों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाते हैं । निर्यात के लिये खाद्यान्नों की मात्रा निर्धारित करने पर खुले बाजार में मूल्य बढ़ सकते है तथा रिकार्ड उत्पादन के बावजूद मूल्य गिरने पर नियंत्रण रखा जा सकता है जिसका लाभ भी उत्पादकों को मिलेगा ।

दक्षिण भारत जल ग्रिड का सृजन

*194. **श्री एन ई बलराम :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियों को शामिल करके एक जल ग्रिड का सृजन करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) डा० के० एल० राव द्वारा प्रस्तावित गंगा-कावेरी सम्पर्क को शुरू करने के बारे कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं । इस प्रस्ताव पर सरकार ने 1970 में विचार किया था किन्तु इसे तकनीकी रूप से असुरक्षित तथा लागत निषेधात्मक पाया गया था ।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जो जल संसाधन मंत्रालय के अधीन पंजीकृत सोसायटी है ने जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक पर अध्ययन शुरू किए हैं, जिसमें दक्षिणी राज्यों की नदियों के अन्तःसम्पर्कों की परिकल्पना की गयी है ताकि जल की कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष जल में से जल अन्तरित किया जा सके । ये अध्ययन प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं ।